तटस्थ उद्धरण संख्या : 2023/डीएच/000910

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि : 03.02.2023

\+ **आप.वि.वा. 765/2023**

दिनेश वर्मा ...याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री इद्रेश अहमद, अधिवक्ता सह याचिकाकर्ता स्वयं

बनाम

रा.रा.क्षे.दि. राज्य सरकार और अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा : सुश्री प्रियंका दलाल, राज्य के लिए अति.लो.अभि.

श्री राणा रंजीत सिंह, श्री रवीश सिंह, सुश्री आकांक्षा सिंह, श्री विवेक कुमार सिंह और श्री आशीष मोहन, प्र-2 के लिए अधिवक्तागण

\+ **आप.वि.वा. 766/2023**

दिनेश वर्मा ...याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री इद्रेश अहमद, अधिवक्ता सह याचिकाकर्ता स्वयं

बनाम

रा.रा.क्षे.दि. राज्य सरकार और अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा : सुश्री प्रियंका दलाल, राज्य के लिए अति.लो.अभि.

श्री राणा रंजीत सिंह, श्री रवीश सिंह, सुश्री आकांक्षा सिंह, श्री विवेक

तटस्थ उद्धरण संख्या : 2023/डीएच/000910

कुमार सिंह और श्री आशीष मोहन,
प्र-2 के लिए अधिवक्तागण

कोरम :
माननीय न्यायमूर्ति श्री रजनीश भटनागर
न्या., श्री रजनीश भटनागर (मौखिक)

आप.वि.आ. 2918/2023 में आप.वि.वा. 765/2023
आप.वि.आ. 2920/2023 में आप.वि.वा. 766/2023

सभी न्यायसंगत अपवादों के अध्यधीन छूट प्रदानित|
आवेदनों का निपटान किया गया है|

आप.वि.वा. 765/2023 और आप.वि.आ. 2917/2023 (रोक)
आप.वि.वा. 766/2023 और आप.वि.आ. 2919/2023 (रोक)

1. वर्तमान याचिकाएं दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दर्ज शिकायत मामला सं. 685/2019 में अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी, उत्तर, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली द्वारा दिनांक

15.02.2022 को पारित सम्मन के आदेश को रद्द करने हेतु दायर की गई है और एन.आई. अधिनियम के तहत दर्ज शिकायत मामला सं. 898/2019 में विद्वान महानगर दंडाधिकारी (एन.आई. अधिनियम)-03, केन्द्रीय, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली द्वारा दिनांक 06.05.2019 को पारित सम्मन आदेश और उससे उत्पन्न होने वाली कार्यवाहियों को रद्द करने के लिए है|

2. यहाँ शिकायतकर्ता/प्रत्यर्थी सं. 2 ने याचिकाकर्ता के खिलाफ तीन अनादत चेक जिनकी राशी 10,00,000/- रुपए, 4,00,000/- रुपए और 9,00,000/- रुपए थी, का भुगतान नहीं करने के संबंध में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत मामला सं. 685/2019 दर्ज कराया था और याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 के नाम जारी किए तीन अनादत चेक जिनकी राशि 6,00,000/- रुपए, 4,00,000/- रुपए और 12,00,000/- रुपए थी, का भुगतान नहीं करने के संबंध में शिकायत मामला सं. 898/2019 दर्ज कराया था|

3. महानगर दंडाधिकारी ने शिकायत मामला सं. 685/2019 में दिनांक 15.02.2022 के आदेश और शिकायत मामला सं. 898/2019 में दिनांक 06.05.2019 के आदेश द्वारा एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत याचिकाकर्ता को न्यायालय में उपस्थित होने के सम्मन जारी किए थे|

4. याचिकाकर्ता ने व्यथित होने के कारण दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लागू करने हेतु वर्तमान याचिकाएं दायर की हैं|

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर की गई शिकायत झूठी व तुच्छ है और इसे प्रश्नगत चेक पर नकली हस्ताक्षर करने के बाद किया गया है| वह प्रस्तुत करते हैं कि 2009-2010 में, प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत चेक याचिकाकर्ता से चुराने के बाद उसका दुरुपयोग किया गया है| याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी प्रस्तुतियों को आक्षेपित शिकायत तक सीमित रख व्यावसायिक लेन-देन की प्रकृति का खुलासा नहीं किया है और इसलिए वह प्रस्तुत करते है कि यह नहीं माना जा सकता है कि कोई विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व मौजूद है| अंत में, वह प्रस्तुत करते हैं कि यह याचिका सद्भावपूर्वक रूप से न्याय के हित में और बिना किसी जानबूझ के की गई देरी के दायर किया गया है|

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने प्रतिविरोध के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया हैः

- ***पेप्सी फूड्स लिमि. व अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट व अन्य [(1998) 5 एससीसी 749]***
- ***एस.एम.एस. फार्मास्यूटिकल्स लिमि. बनाम नीता भल्ला व अन्य [(2005) 8 एससीसी 89]***

- ***ओम्निप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक व अन्य [(2015) 15 एससीसी 693]***
- ***शिवोम मिनरल्स लिमिटेड व अन्य बनाम राज्य व अन्य (आप.वि.वा. सं. 4984/2018, दिल्ली उच्च न्यायालय)***

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इंगित किया है कि प्रश्नगत चेक अपनी वैधता की अवधि के भीतर प्रस्तुत किए गए थे, शिकायतकर्ता को चेक के अनादत होने की सूचना 13.12.2018 को मिली थी और इसके पश्चात 27.12.2018 को कानूनी नोटिस जारी किया गया था| वह प्रस्तुत करते हैं कि नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन से अधिक समय बीत गया है परन्तु याचिकाकर्ता अभी भी कोई भुगतान करने में विफल रहा| वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता के अच्छी तरह से ज्ञात होने के बाद भी कि उसके चेक अदाकर्ता बैंक द्वारा सम्मानित नहीं किए जाएंगे और बैंक खाते में पर्याप्त राशि शेष नहीं है, फिर भी उन्होंने प्रश्नगत चेक जारी किए| वह यह भी प्रस्तुत करते हैं कि 2009-2010 में चेक खो जाने के बारे में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क अत्यधिक असंभव प्रतीत होता है क्योंकि भले ही चेक खो गए हों, याचिकाकर्ता ने ना ही बैंक को सूचित करने का कोई प्रयास किया है और ना ही अब तक कोई पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है| वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के तहत उपधारणा में एक उपधारणा शामिल है कि विधिक रूप से प्रवर्तनीय एक ऋण और दायित्व मौजूद है| प्रत्यर्थी के

विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान याचिकाएं दायर करने में हुई अनियमित देरी का कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और इसलिए सम्मन के आदेश को रद्द करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है|

7. जहाँ तक याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्णयों पर किए गए भरोसे से संबंध है तो उक्त निर्णयों में अधिकथित विधि के प्रतिपादना के संबंध में कोई विवाद नहीं है लेकिन साथ ही उचित रूप से देखने पर यह वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता क्योंकि सम्मन के आदेश दिनांकित 15.02.2022 और 06.05.2019 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इन आदेशों को पारित करते समय विद्वान मजिस्ट्रेट ने शिकायतों के साथ-साथ शिकायतों के समर्थन में अभिलेख पर दायर साक्ष्य में शपथ-पत्र और अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने तत्काल मामलों में याचिकाकर्ता को सम्मन करते समय कोई गलती की है|

8. अब इस मामले की विधिक स्थिति पर आते हुए और दं.प्र.सं. के विभिन्न उपबंध जिन पर विभिन्न निर्णयों में बार-बार चर्चा की गई है को ध्यान में रखते हुए यह दर्शाया गया है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम ऐसे व्यक्ति को पर्याप्त अवसर प्रदान करता है जो चेक जारी करता है| एक बार किसी व्यक्ति द्वारा चेक जारी किए जाने पर इसे स्वीकार किया जाना चाहिए और यदि इसको स्वीकार नहीं किया जाता है तो उस व्यक्ति को

एक नोटिस जारी करके चेक की राशि का भुगतान करने का अवसर दिया जाता है और यदि वह फिर भी भुगतान नहीं करता है तो उसे आपराधिक विचारण और परिणामों का सामना करना होगा| यह कई मामलों में देखा गया है कि दुर्भावनापूर्ण इरादे से और मुकदमे को लंबा खींचने के लिए याचिगण झूठे और तुच्छ अभिवाक करते हैं और कुछ मामलों में याचिगण के पास वास्तविक बचाव होते हैं लेकिन एन. आई. अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदान कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बजाय, प्रावधानों का गलत अर्थ लगाकर, ऐसे पक्षकार मानते हैं कि उनके पास उपलब्ध एकमात्र विकल्प उच्च न्यायालय के समक्ष जाने का है जिसके कारण उच्च न्यायालय को महानगर दंडाधिकारी का स्थान लेकर पहले उनके बचाव की जांच कर फिर उन्हें दोषमुक्त करना पड़ता है| उच्च न्यायालय, महानगर दंडाधिकारी की शक्तियों को दबा कर अभियुक्त के अभिवाक पर सुनवाई नही कर सकता कि क्यों उसका विचारण एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अधीन नहीं किया जाए| यह अभिवाक कि उसके ऊपर विचारण एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत क्यों नहीं होना चाहिए, अभियुक्त द्वारा द.प्र.सं. की धारा 251 और 263(छ) के तहत महानगर दंडाधिकारी की न्यायालय के समक्ष दायर की जाएगी|

9. यह अपराध एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत प्रकृति का एक अपराध है और चूंकि यह आरोपी की विशेष जानकारी में है कि उसे एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत मुकदमे का सामना क्यों नहीं

करना है इसलिए उसे ही अकेले बचाव का अभिवाक देना है और सिद्ध करने की जिम्मेदारी शिकायतकर्ता पर स्थानांतरित नहीं की जा सकती है| ऐसी कोई धारणा नहीं है कि यदि कोई अभियुक्त अपना बचाव करने में विफल रहता है तो भी उसे निर्दोष माना जाएगा| यदि किसी अभियुक्त के पास प्रश्नगत चेक के अनादरण के विरुद्ध बचाव है तो केवल वही व्यक्ति अकेला इस बचाव को जानता है और न्यायालय के समक्ष बचाव को प्रस्तुत करने की और उसको साबित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर है| एक बार जब शिकायतकर्ता चैक जारी करने, चैक बाउंस होने, मांग नोटिस आदि जारी करने के बारे में अपना शपथ-पत्र दे कर अपने मामले को सामने लाता है तो अभियुक्त की प्रतिपरीक्षा केवल तभी की जा सकती है जब वह न्यायालय में इस बारे में आवेदन करे कि वह किस बिन्दु पर गवाह(ओं) की प्रतिपरीक्षा करना चाहता है और तभी न्यायालय गवाह को उसके कारणों को लेखबद्ध करके हेतु पुनः बुलाएगा|

10. एन.आई. अधिनियम की धारा 143 और 145 ऐसे मामलों में शीघ्र विचारण के उद्देश्य से संसद द्वारा अधिनियमित किए गए थे| संक्षिप्त विचारण के प्रावधान प्रत्यर्थी को शपथपत्रों और दस्तावेजों के माध्यम से बचाव साक्ष्य का नेतृत्व करने में सक्षम बनाता है| इस प्रकार, एक अभियुक्त जो यह समझता है कि उसके पास एक तर्कसंगत बचाव है और उसके विरुद्ध मामला चलाए जाने योग्य नहीं है, वह अपनी पेशी के पहले दिन ही अपना अभिवाक दाखिल कर सकता है और अपने बचाव साक्ष्य में एक शपथपत्र दाखिल कर सकता है और यदि उसे इस तरह की सलाह दी जाती है तो वह

अपने द्वारा बचाव पर लिए गए किसी भी गवाह को वापस बुलाने के लिए एक आवेदन भी दायर कर सकता है|

11. दं.प्र.सं. के अधीन विहित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, यदि अभियुक्त सम्मन की तामील के पश्चात् उपस्थित होता है तो विद्वान महानगर दंडाधिकारी उससे विचारण के दौरान उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ज़मानत-पत्र प्रस्तुत करने की माँग कर सकते हैं और उसे दं.प्र.सं. की धारा 251 के अधीन नोटिस लेने और बचाव के अभिवाक को प्रस्तुत कर मामले को बचाव साक्ष्य हेतु नियत करने की माँग कर सकते हैं जब तक कि एक अभियुक्त द्वारा एन.आई. अधिनियम की धारा 145(2) के तहत बचाव के अभिवाक पर गवाह को प्रतिपरीक्षा के लिए पुनः बुलाने हेतु आवेदन किया जाएगा| यदि एन.आई. अधिनियम की धारा 145(2) के तहत कोई आवेदन शिकायतकर्ता के किसी गवाह को पुनः बुलाने हेतु किया जाता है तो न्यायालय उस पर फैसला करेगी अन्यथा वह बचाव के साक्ष्य को अभिलेख पर लेने के लिए आगे बढ़ेगी और शिकायतकर्ता को बचाव के गवाहों की प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति देगी। इन सभी मामलों में एक बार सम्मन आदेश जारी हो जाने के बाद अब अभियुक्त की यह बाध्यता हो जाती है कि वह दं.प्र.सं. की धारा 251 के तहत नोटिस ले, यदि उसे पहले से ही नहीं लिया गया है, तो वह संबंधित महानगर दंडाधिकारी के न्यायालय में अपना बचाव पक्ष दर्ज करे और यदि वे किसी गवाह को पुनः बुलाना चाहते हैं तो आवेदन करें| यदि वे किसी शिकायतकर्ता गवाह या किसी अन्य गवाह को पुनः बुलाए बिना

अपना बचाव साबित करना चाहते हैं तो उन्हें महानगर दंडाधिकारी की न्यायालय के समक्ष ऐसा करना चाहिए|

12. जहाँ तक याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का प्रतिविरोध रहा है कि यह याचिका सद्भावी तौर पर न्याय के हित में और जानबूझकर की गई देरी के बिना दायर की गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि देरी हमेशा मामले के लिए घातक नहीं है, बशर्ते इसे संतोषजनक रूप से समझाया गया हो, हालाँकि, तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता वर्तमान याचिकाओं को दाखिल करने में हुई इस तरह की देरी के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है|

13. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रतिवाद किया है कि प्रश्नगत चेक खो गए और शिकायतकर्ता ने उन पर फर्जी हस्ताक्षर करके कथित चेक का दुरुपयोग किया है| मेरी राय में, भले ही याचिकाकर्ता पर यह विश्वास किया जाए कि चेक वर्ष 2009-2010 में गायब हो गए, यह वास्तव में चौंकाने वाली बात है कि वह इसके बारे में एक भी पुलिस शिकायत दर्ज करने में विफल रहा है और इतने वर्षों तक चुप रहा है|

14. इसलिए, मुझे याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के प्रतिविरोध में कोई बल नहीं लगता है और तदनुसार, लंबित आवेदनों के साथ वर्तमान याचिकाएं किसी भी योग्यता से वंचित होने के कारण खारिज की जाती हैं|

तटस्थ उद्धरण संख्या : 2023/डीएच/000910

न्या., रजनीश भटनागर

03 फरवरी, 2023
पी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*